



6031

दूरभाष 2286709  
2286710

नव बहाग कोड 10 प्रशासक मार्ग संख्या 226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : ५११३ / ०५ / ७६ / एक / २०१५-१६  
सेवा में

दिनांक : ३१ मार्च 2016

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-सहारनपुर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूड़ा द्वारा आपके जनपद (झुड़ा) को अत्यसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में रखीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अत्यसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवगुदत की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
एक्सेस बैंक	IFSC Code		(धनराशि लाख रु० में)
915010064759942	UTIB0000420	127.002	

क्रो सं०	जनपद का नाम	अत्यसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वाड़ का नाम	वित्तीय किस्ति की धनराशि का प्रेषण
1	सहारनपुर	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०नि० सहारनपुर	प्रिंस विश्वास नगर पुराना कलारिया रोड (भाग-01) में रालीम के मकान से मरिजद तक, नौशाद के मकान से नूर हसन के मकान तक, लियाकत के मकान से भूरा के मकान तक (आईडियल रकूल वाली गली) में नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य।	15.508
2	सहारनपुर	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०नि० सहारनपुर	प्रिंस विश्वास नगर पुराना कलारिया रोड (भाग-02) में नासीम के मकान से रासाफल के मकान तक, रादिक व अमरीन के मकान से आशू के मकान तक, रालीम की दुकार से सावीर के मकान तक व नूर मरिजद तक, शाहिद ढलाई भट्ठी से गदरसा जामिकया खाँसीजा तक नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य।	13.46
3	सहारनपुर	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०नि० सहारनपुर	प्रिंस विश्वास नगर पुराना कलारिया रोड (भाग-03) में मदररा दारू उलूम 4 अजीजा व नूर हसन के मकान तक, नफीस के मकान से लियाकत के मकान तक, शमशाद के मकान से लियाकत के मकान तक व रालीम के मकान से इरफान के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य।	12.456
4	सहारनपुर	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०नि० सहारनपुर	राजपूत कालीनी पार्ट-1 में मुरीर वाली गली, उरमान ढलाई भट्ठी वाली गली व शकील वाली गली, यूनुस की दुकान से इमरान के मकान तक व जमरौद वाली गली, गली नम्बर 07 व इसकी सहायक मरियामें नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य।	15.956
5	सहारनपुर	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०नि० सहारनपुर	हाकमशाह पार्ट-7 में शकूर की दुकान से इकबाल की दुकान तक, रियाज के मकान से शाहनवाज के मकान तक व लिंग गलियों में नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य।	11.628
6	सहारनपुर	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०नि० सहारनपुर	हाकमशाह पार्ट-8 में रजावाह की पटरी से रासा के मकान तक, अताउर्रहमान के मकान से गोली के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य।	15.048



603/2

दृष्टान् - 2286709

2286710

नव बेतना केंद्र 10 प्रशासक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र. सं	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	गिरिया का नाम	दस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रधान
7	सहारनपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0नि0 सहारनपुर	हाकमशाह पार्ट 9 में अकबर मरिज़द वाली गली व इसकी सहायक गलियों में नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य।	12.92
8	सहारनपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0नि0 सहारनपुर	हाकमशाह पार्ट-10 में गुंशी हसन वाली गली व गौशाद के मकान से रजवाहे की पटरी तक नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य।	14.93
9	सहारनपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0नि0 सहारनपुर	हाकमशाह पार्ट 11 में अल्लाफ के मकान से राजी खान के मकान तक, दम्मन के मकान से गुलशेर के मकान तक व अन्य लिंक गलियों में नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य।	15.096
	योग				127.002

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितयों तथा मलिन वरितयों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्पीकूट डी0पी0आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये।

- उप्रांत सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितयों तथा मलिन वरितयों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्पीकूट डी0पी0आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोलोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्थीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य ओब्र से धनराशि स्थीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शाराकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय वाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्थीकृत/अनापूर्ति अन्य विभागों से लेना हो तो,
- प्रश्नगत परियोजनाओं में रवीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुरितका के सुरांगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- परिसम्पत्तियों के सूजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-स्थावर में कोई वाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सूजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- उक्त धनराशि दूड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवर्त्यों के अनुसार निर्दित मद में व्यय की जायेगी एवं स्थीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही रामय से पूर्ण हो जायें।
- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कठीनी सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवर्त्यों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्थीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्त्तन अनुगम्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।



603/3

दूरभाष - 2286709  
2286710

नम देवना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

## राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

- 12— शासन द्वारा उक्ता परियोजना में आगामन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्ता की गई है जिसमें अनुग्रह सेन्टर की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 10 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवगुक्त की जा रही है। उक्ता धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्ताप्रक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष गौतिक प्रगति राहित निर्भारित प्रपत्र पर सूचना अभियान को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्ता किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

W

पत्रांक एवं दिनांक तदैव  
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभियान, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधिकारी अभियन्ता—सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग—सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

V